

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(242)एमई/ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक :


15 JAN 2015

आदेश

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03.7.2014 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है कि –"Provided that in the cases of Medical Officer of the Rajasthan Medical & Health Services, Senior Demonstrator and Assistant Professor of the Rajasthan Medical Services (Collegiate Branch), who possess MBBS degree and have spent one year in internship, the period of Probation Training shall be one year instead of two year." व समसंख्यक आदेश दिनांक 23.7.2014 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि –"Such Senior Demonstrators and Assistant Professors of the Rajasthan Medical Services (Collegiate Branch), who had completed one year or more as probationer trainee on 03-7-2014 but not completed two years as probationer trainee. In such cases the probationer trainee period will be deemed to have been completed on 03-7-2014, i.e. the date of notification."

अतः वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना एवं आदेश के तहत राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत परिवीक्षाकालाधीन वरिष्ठ प्रदर्शकों व सहायक आचार्यों के परिवीक्षा काल का नियतन संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज अपने स्तर से करें।

आदेश से,


(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज., जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
8. महालेखाकार, राज., जयपुर।
9. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।

क्रमशः- 2

(2)

10. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर ।
13. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
14. श्री प्रेमप्रकाश तिवाड़ी, प्रोग्रामर को विभगीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



(धन्ना लाल)

शासन सहायक सचिव